सार्वजनिक सूचना में नाम एवं लिंग परिवर्तन हेतु दिशा-निर्देश

भारत के राजपत्र भाग IV में सार्वजनिक सूचना में नाम एवं लिंग परिवर्तन के संबंध में विज्ञापन हेतु सूचना नोट:- केवल इस श्रेणी के लिए मान्य, साधारण नाम परिवर्तन श्रेणी के लिए मान्य नहीं।

भारत के राजपत्र भाग IV में विज्ञापन के प्रकाशन हेतु निम्नलिखित दस्तावेज़/कागजात अनिवार्य है:-

1) केवल स्थानीय राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र में हाल का विज्ञापन (मूल रूप में) - (अंग्रेज़ी समाचार पत्र या हिंदी समाचार पत्र में एवं मुद्रण मामला केवल हिंदी या अंग्रेजी भाषा में होना चाहिए।
2) स्वयं सत्यापित शपथपत्र (परिवर्तित मूल प्रति)
3) सार्वजनिक सूचना में परिवर्तन के लिए निर्धारित प्रोफार्मा- 02 टाइप की गई मूल प्रतियां हैं, जो आवेदक द्वारा पुराने नाम से पूरी तरह से सत्यापित एवं दो गवाहों का पूरा विवरण होना चाहिए ।
4) कोम्पेक्ट डिस्क की एक सी डी
5) एक सी. डी. प्रमाण-पत्र :- आवेदक द्वारा अपने पुराने नाम से विधिवत सत्यापित एक पत्र जिसमें यह घोषणा किया गया हो कि सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी की विषय समरूप/समान है।
6) आवेदक द्वारा स्वयं सत्यापित (क्रॉस हस्ताक्षर) पासपोर्ट आकार की दो फोटो।
7) आवेदक के पुराना नाम/लिंग या पता से जन्म प्रमाण पत्र/आधार कार्ड/वोटर पहचान पत्र/पासपोर्ट की स्वयं सत्यापित पहचान पत्र की एक छाया प्रति ।
8) प्रत्येक गवाह/साक्षी के नाम/पता से आधार कार्ड/वोटर पहचान पत्र/पासपोर्ट की स्वयं सत्यापित पहचान पत्र की एक छाया प्रति ।
9) जी आई डी छायाप्रति(छायाप्रतियाँ) (जब तक नालसा दिशानिर्देश लागू नहीं होते या सर्वोच्च न्यायालय के सुझाव के अनुसार संसद में कानून पारित होने तक ।
10) कृपया अपने अनुरोध पत्र प्रकाशन नियंत्रक, प्रकाशन विभाग,सिविल लाइंस, दिल्ली -110054, विधान सभा के पीछे, विधान सभा मेट्रो स्टेशन के नजदीक के पते पर भेजें ।

आवेदक अपना टेलीफ़ोन/मोबाइल संख्या/ई-मेल अवश्य उल्लेखित करें, यह अनिवार्य है।

नोट:- सत्यापन के लिए पिछले नाम और लिंग, पता, जीआईडी आदि से संबंधित स्व-सत्यापित सहायक दस्तावेज संलग्न किए जाने चाहिए। (यदि आवेदक व्यक्तिगत रूप से विभाग में आता है तो उसे स्वप्रमाणित दस्तावेजों की प्रति के साथ मूल दस्तावेज लाना चाहिए, जिसे सत्यापन के बाद आवेदक को वापस दे दिए जाते हैं।

18 वर्ष और उससे अधिक की आयु के व्यक्ति जो भारत के राजपत्र भाग- IV में अपना नाम और लिंग परिवर्तन को अधिसूचित करना चाहते हैं, तो उसे ऐसे विज्ञापन की अधिसूचना से पहले निम्नलिखित औपचारिकताओं का पालन करना अनिवार्य है।

1. केवल स्थानीय राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र में हाल का विज्ञापन (मूल रूप में) - (अंग्रेज़ी समाचार पत्र या हिंदी समाचार पत्र में एवं मुद्रण मामला केवल हिंदी या अंग्रेजी भाषा में होना चाहिए। (i) इसमें पूरा विवरण पुराना नाम और लिंग, पिता का नाम, पूरा आवासीय पता, नया नाम और लिंग देना चाहिए। (ii) यह व्यक्तिगत पक्ष से होना चाहिए न की वकील की ओर से। (iii) इसे केवल समाचार पत्र में सार्वजनिक सूचना शीर्षक में विज्ञापित किया जाना चाहिए। नाम के शीर्षक में परिवर्तन में इसका विज्ञापन नहीं किया जाना चाहिए। विज्ञापन किस प्रकार किया जाना है इसका प्रारूप इसमें दिया गया है। (संशोधित नया सार्वजनिक सूचना प्रारूप) साप्ताहिक, म का दैनिक समाचार पत्र, पाक्षिक समाचार पत्र आदि पर विचार नहीं किया जाएगा।

....2/-

2. एक शपथ पत्र (संशोधित नया सार्वजनिक सूचना प्रारूप)।

3. सार्वजनिक सूचना हेतु ए4 शीट पर कंप्यूटर द्वारा विधिवत रूप से टाइप की गई नाम परिवर्तन की दो मूल प्रतियां -अपना पुराना नाम टाइप करें और केवल दो गवाहों के आवेदक विवरण को अपने पुराने नाम से हस्ताक्षर करें।
4. एक सीडी-कॉम्पैक्ट डिस्क- जिसमें एमएस वर्ड में नाम और लिंग परिवर्तन हेतु सार्वजनिक सूचना के लिए निर्धारित प्रोफार्मा होना चाहिए यानी गवाह के ऊपर का भाग।

सीडी में केवल निम्नलिखित मामला (एमएस वर्ड में) होना चाहिए, अनुलग्नक-III का अवलोकन करें।

1. मैं.....(अपना पुराना नाम).......... पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमति.........(माता/पिता का नाम)......... जो कि ....(अपना पूरा पता).......... में रहता हूं, एतद्द्वारा यह वचन देता हूं कि मैं ...... (अपना पुराना नाम)..... से.........(नया नाम)..... और लिंग (नया लिंग) में बदलना चाहता/चाहती हूं।
2. मैं.....(अपना पुराना नाम).......... पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमति.........(माता/पिता का नाम).........को अब से...... (नया नाम)...... के रूप में जाना जाएगा।
3. मेरे द्वारा दिया गया उपरोक्त कथन मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है। यदि इस संबंध में किसी भी स्तर पर कोई कानूनी समस्या उत्पन्न होती है, तो इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार रहूंगा और प्रकाशन विभाग किसी भी परिणाम के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

अपना पुराना नाम टाइप करें (हस्ताक्षर के बदले)

नोट:- सीडी में निम्नलिखित बिन्दु शामिल नहीं होना चाहिए।

i) स्कैन किया गया मामला (पीडीएफ़, जेपीइजी, जेपीजी फ़ारमैट नहीं) (केवल दस्तावेज़/एम. एस. वर्ड प्रारूप में होनी चाहिए ।

ii) हस्ताक्षर रहित

iii) साक्षी/गवाह का विवरण ।

iv) कोई आवेदन,फोटोग्राफ्स, शपथ पत्र, आई डी. विवरण इत्यादि ।

v) एक सी. डी. प्रमाण-पत्र :- आवेदक द्वारा अपने पुराने नाम से विधिवत टाइप एवं सत्यापित एक प्रमाण-पत्र जिसमें यह घोषणा किया गया हो कि सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी की विषय समरूप/समान है और इसमें यह कहा गया हो कि किसी भी प्रकार की विसंगति के लिए आवेदक जिम्मेदार होगा।

vi) आवेदक द्वारा स्वयं सत्यापित (क्रॉस हस्ताक्षर) पासपोर्ट आकार की दो फोटो

vii) आवेदक के पुराना नाम या पता से आधार कार्ड/वोटर पहचान पत्र/पासपोर्ट की स्वयं सत्यापित पहचान पत्र की एक छाया प्रति।

viii) प्रत्येक गवाह/साक्षी के नाम/पता से आधार कार्ड/वोटर पहचान पत्र/पासपोर्ट की स्वयं सत्यापित पहचान पत्र की एक छाया प्रति ।

ix) संबन्धित अस्पताल के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/विभागाध्यक्ष द्वारा जारी जी आई डी की छायाप्रति जहाँ से इलाज़ लिया ।

x) कृपया अपने अनुरोध पत्र प्रकाशन नियंत्रक, प्रकाशन विभाग,सिविल लाइंस, दिल्ली -110054, विधान सभा के पीछे, विधान सभा मेट्रो स्टेशन के नजदीक के पते पर भेजें ।

आवेदक अपना टेलीफ़ोन/मोबाइल संख्या/ई-मेल अवश्य उल्लेखित करें, यह अनिवार्य है।

....3/-

xi) मुद्रण शुल्क इस प्रकार हैं:-

xii) वित्तीय वर्ष 01/04/2016 से 31/03/2017 के लिए शुल्क 1400/- रुपये है (यह प्रत्येक वित्तीय वर्ष में तथा प्रत्येक मामले में भिन्न-भिन्न होता है)। सार्वजनिक सूचना के लिए अपेक्षित शुल्क भेजने से पहले कृपया वेबसाइट पर निर्देश का अवलोकन करें।

भारत के राजपत्र भाग- III खण्ड- IV में मुद्रण मामले को प्रकाशित करने से पहले अग्रिम राशि भुगतान करना अनिवार्य है। मुख्य लेखा कार्यालय,आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के दिनांक 01/10/2018 के कार्यालय ज्ञापन संख्या G-20018/Pr.Ao/UD/A/Cs/NTRP/2018-19/1489-1504 के अनुसरण से विभाग द्वारा जारी दिनांक 04/10/2018 के आदेश संख्या Cash/NTRP/2018-19 के अनुसार यह राशि केवल एनटीआरपी के माध्यम से (यानी गैर रसीद पोर्टल www.bharatkosh.gov.in) पर जमा करना होगा। डाक/हाथ से भेजे जाने पर भुगतान की रसीद अधिसूचना के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

मुख्य लेखा कार्यालय (लेखा), आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, 314-बी, तीसरी मंजिल, निर्माण भवन, नई दिल्ली के अनुसरण से उप लेखा नियंत्रक द्वारा जारी दिनांक 18/03/2019 के आदेश संख्या G-20018/Pr. Ao/UD/A/Cs/Ntrp/2018-19/9394-96 के तहत दिनांक 18/03/2019 से NEFT/RTGS के माध्यम से सीधे भुगतान को रोक दिया गया है।यदि आवेदक व्यक्तिगत रूप से आ रहा है तो उसे अपने मूल दस्तावेज लाना होगा जो फोटोकॉपी की पुष्टि के बाद उसे वापस कर दिया जाएगा । यदि आप आने में असमर्थ है तो वह अपना आवेदन स्पीड पोस्ट/कूरियर द्वारा एनटीआरपी के माध्यम से आवश्यक शुल्क जोड़कर विभाग के सीआरटी अनुभाग में जमा कर सकते हैं, जिसे बाद में संबंधित अनुभाग द्वारा जांच की जाती है। आवेदन जमा करने के लिए अन्य कोई माध्यम जैसे वकील, एजेंट, दलाल, मित्र, रिश्तेदार के पास प्राधिकार पत्र आदि की अनुमति नहीं है ।स्थिति की जांच के लिए, लगभग एक महीने की समय अवधि की आवश्यकता होती है क्योंकि पूरे भारत से आवेदकों के द्वारा भारी संख्या में पत्र प्राप्त होते हैं और समयावधि के भीतर केवल आवेदक को कॉल या स्पीड पोस्ट या ई-मेल के माध्यम से आपत्ति पत्र के द्वारा सूचित किया जाएगा किसी अन्य व्यक्ति को नहीं। आवेदक से अनुरोध है कि वह अपना सही एवं पूर्ण पत्राचार का पता पिन कोड के साथ उल्लेख करें ताकि पत्र समय पर उनके पास पहुंच सके एवं अपना मोबाइल नंबर या ई-मेल पता अवश्य दर्ज करें ताकि कमियों को शीघ्र ही आप तक प्रेषित किया जा सके । यदि पत्र वितरित नहीं होता है या वापस आता है, तो विभाग इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा ।संबन्धित व्यक्ति को इस विभाग से पहला ई-मेल, फोन या आपत्ति पत्र प्राप्त होने के 6 महीने के भीतर दस्तावेजों/घाटे की फीस/सीडी/सीडी प्रमाण पत्र आदि में अपनी कमी प्रस्तुत करनी होगी। आवेदक को अपने भविष्य के पत्राचार में अपने फाइल नंबर का उल्लेख करना होगा ताकि इसे पुरानी फाइल के साथ लिंक किया जा सके ।आवेदक को आपत्ति पत्र/ई-मेल/टेलीफोन के द्वारा बताए गए दस्तावेज में कमी को छह महीने में भेजना होगा अन्यथा मामला रद्द माना जाएगा और अधिसूचना को भारत के राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए अपेक्षित शुल्क के साथ पूरी प्रक्रिया फिर से करना होगा ।छह महीने के बाद इस विभाग द्वारा कोई पत्राचार नहीं किया जायेगा। आपके नाम को भारत के राजपत्र में मुद्रण में हो रही देरी के लिए विभाग किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा। आवेदक को तत्काल मौजूद सभी नए दस्तावेज और नए शुल्क के साथ अपने मामले को नए सिरे से आवेदन करना होगा। विभाग में जमा किए दस्तावेज किसी भी परिस्थिति में न तो मूल और न ही इसकी फोटो प्रति वापस किए जाएंगे ।

xiii) विभाग में इस विषय पर सार्वजनिक निपटान समय प्रत्येक कार्य दिवस पूर्वाहन 10:00 बजे से 1:00 बजे तथा अपराह्न 2:00 बजे से 4:00 बजे तक रहेगा। (शनिवार, रविवार एवं राजपत्रित अवकाश पर बंद)

xiv) सरकार के आदेश के अनुसार दिनांक 30-09-2015 के भारत के राजपत्र सं. 602 असाधारण भाग-II, खंड-3उप खंड-(i) के तहत दिनांक 01-10-2015 से कागजी प्रतियों का मुद्रण तथा बिक्री पूर्ण रूप से बंद कर दिया

गया है तथा यह ई-प्रकाशन के रूप में उपलब्ध है। आवेदनकर्ता से अनुरोध है कि वह अपना राजपत्र की प्रति इस विभाग के वैबसाइट www.egazette.nic.in से निम्न चरणों के अनुसार डाउनलोड कर सकते हैं।

चरण : राजपत्र खोज करने के लिए
चरण 1 : राजपत्र खोजें (www.egazette.nic.in)
चरण 2 : श्रेणी खोजें – साप्ताहिक राजपत्र
चरण 3 : भाग एवं खंड में – भाग-IV का चयन करें।
चरण 4 : पहले कैलेंडर (शनिवार की तिथि) से दूसरे कैलेंडर में (शनिवार की तिथि)
चरण 5 : अपेक्षित पी डी एफ फ़ाईल डाउनलोड करें।
चरण 6 : अपना (पुराना/नया) नाम खोजने के लिए कंट्रोल + एफ कुंजी को दबाएँ।
चरण 7 : अपनी प्रति बनाने के लिए पूरा राजपत्र (Gazeette) डाउनलोड करें। इसे विभाग द्वारा सत्यापित कराने की आवश्यकता नहीं है।

xv) भारत के राजपत्र के प्रकाशक होने के नाते प्रकाशन नियंत्रक के पास यह अधिकार है कि वह प्रकाशन के लिए प्राप्त किसी भी अधूरी/अस्पष्ट/गैरकानूनी/भ्रामक मुद्रण सामग्री को अस्वीकार/ कोई अन्य सहायक दस्तावेज मांग सकता है।

xvi) प्रकाशन नियंत्रक ने यहाँ यह स्पष्ट रूप से बताया है कि भारत के राजपत्र भाग IV में विज्ञापन/सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन को स्वीकार करने के लिए उनकी कोई कानूनी जिम्मेदारी नहीं है। विज्ञापन/सार्वजनिक सूचना को सूचित करने वाला व्यक्ति कानूनी परिणामों और किसी भी प्रतिनिधित्व आदि के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे।

xvii) यह विभाग किसी भी व्यक्ति की जन्म तिथि में परिवर्तन/संशोधन/संशोधन से संबंधित कोई भी मामला प्रकाशित नहीं करता है।

xviii) किसी भी विवाद के मामले को केवल दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में निपटाया जाएगा।

नोट:- शपथ पत्र, समाचार पत्र, सार्वजनिक सूचना के प्रारूप तथा सीडी के मामला समान होना चाहिए अन्यथा इसे अस्वीकृत किया जा सकता है।

प्रकाशन नियंत्रक

शपथ पत्र

1. मैं ....(पुराना नाम) पुत्र/पुत्री/विपरीतलिंगी (ट्रान्सजेंडर) श्री ....(माता/पिता/कानूनी अभिभावक).............. जन्म के समय .... (जन्म स्थान का नाम)............ का रहने वाला पुरुष/महिला/ विपरीतलिंगी (ट्रान्सजेंडर) के रूप में नियुक्त करता हूं, यह वचन देता हूं कि मैं ....(पुराना नाम)...... से ....(नया नाम)...... और लिंग ....से परिवर्तन करना चाहता/चाहती हूँ ।

2. मैं ....(पुराना नाम) .... अब से ....(नया नाम)...........पुत्र/पुत्री/श्री/श्रीमति.......... लिंग .... के रूप में जाना जाता हूँ ।

3. मेरे द्वारा दिया गया उपरोक्त कथन मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है। यदि इस संबंध में किसी भी स्तर पर कोई कानूनी समस्या उत्पन्न होती है, तो इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार रहूंगा और प्रकाशन विभाग किसी भी परिणाम के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

पुराना नाम

(जो लागू न हो उसे काट दें)

गवाह/साक्षी 1 :-

हस्ताक्षर :________________________________ पूरा नाम:-________________________________

पता :-____

____

मोबाइल संख्या:-____

गवाह/साक्षी 2 :-

हस्ताक्षर :________________________________ पूरा नाम:-________________________________

पता :-____

____

मोबाइल संख्या:-____

<u>नाम / लिंग परिवर्तन हेतु स्व-घोषणा पत्र</u>

<u>सार्वजनिक सूचना</u>

1. मैं ....(पुराना नाम) पुत्र/पुत्री/ श्री ....(माता/पिता/कानूनी अभिभावक)............. .... (आवास का पता)............ का रहने वाला यह वचन देता हूं कि मैं ....(पुराना नाम)...... से ....(नया नाम)...... और लिंग ....से परिवर्तन करना चाहता/चाहती हूँ ।

2. मैं ....(पुराना नाम) .... अब से ....(नया नाम)...........पुत्र/पुत्री/श्री/श्रीमति.................. के रूप में जाना जाता हूँ ।

3. मेरे द्वारा दिया गया उपरोक्त कथन मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है। यदि इस संबंध में किसी भी स्तर पर कोई कानूनी समस्या उत्पन्न होती है, तो इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार रहूंगा और प्रकाशन विभाग किसी भी परिणाम के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

पुराना नाम

गवाह/साक्षी 1 :-

हस्ताक्षर :________________________________ पूरा नाम:-________________________________

पता :-____

____

मोबाइल संख्या:____

गवाह/साक्षी 2 :-

हस्ताक्षर :________________________________ पूरानाम:-________________________________

पता :-____

____

मोबाइल संख्या:____